रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937
No. 316] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2015

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंत:संयोजन (नौवां संशोधन) विनियम, 2015

(2015 का 6)

सं. 6–30/2015–बीएंडसीएस.–संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) एवं धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो,–

(क) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप–खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 39 (एस.ओ. 44 (ई) तथा 45(ई)) के तहत प्रकाशित हुई थी,–

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंत:संयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्–

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंत:संयोजन (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 6) कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंत:संयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) के विनियम 2 में,–

(ए) उप–खंड (आईबी) को विलोपित किया जायेगा।

(बी) उप–खंड (आईसी) के लिए, निम्नलिखित उप–खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :–

''(आईसी) ''**वाणिज्यिक सब्सक्राइबर**'' का आशय ऐसे सब्सक्राइबर से है, जो टीवी चैनलों के सिगनलों को एक निर्दिष्ट राशि के भुगतान पर सुनने या देखने के लिए किसी व्यक्ति को समर्थ बनाता है**;**''

(सी) उप–खंड (एमए) के लिए, निम्नलिखित उप–खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :–
''(एमए) '**सामान्य सब्सक्राइबर**' का आशय उस सब्सक्राइबर से है जो वाणिज्यिक सब्सक्राइबर नहीं है।

सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा (प्रभारी)

[विज्ञापन–III/4/असा./142/15(207)]

टिप्पणी:–1 : मूल विनियम 10 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 8–26/2004–बीएण्डसीएस के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में 03 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 3–57/2005–बीएण्डसीएस, दिनांक 24 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 11–13/2006–बीएण्डसीएस, दिनांक 04 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 6–4/2006–बीएण्डसीएस, दिनांक 03 सितंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 4–54/2007–बीएण्डसीएस, दिनांक 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 3–21/2009–बीएण्डसीएस, दिनांक 30 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 6–7/2010–बीएण्डसीएस, दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 6–11/2014–बीएंडसीएस तथा दिनांक 18 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 6/32/2014–बीएंडसीएस के द्वारा संशोधित किए गए।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंत:संयोजन (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 6) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है।

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक टिप्पणी

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसके पश्चात् भादूविप्रा अधिनियम कहा गया है) के माध्यम से स्थापित, एक सांविधिक निकाय है। अस्तित्व में आने के पश्चात्, भादूविप्रा का मुख्य कार्य क्षेत्र दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के हितों की संरक्षा करना तथा दूरसंचार सेवाओं को सुचारू विकास को बढ़ावा देना है।

2. भारत सरकार ने दिनांक 09 जनवरी, 2004 की एक अधिसूचना के माध्यम से ''प्रसारण सेवाओं'' तथा ''केबल सेवाओं'' को ''दूरसंचार सेवाओं'' के रूप में अधिसूचित किया। तद्नुसार, वर्ष 2004 से भादूविप्रा अपने संस्तुतिकारी तथा विनियामककारी शक्तियों का भी प्रयोग करते हुए देश में प्रसारण तथा केबल टेलीविजन क्षेत्र को विनियमित कर रहा है।

3. प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवा क्षेत्र को विनियमित करने की शक्तियां प्रदत्त करने के तुरंत बाद से भादूविप्रा ने दिनांक 15 जनवरी, 2004 को अंतरिम रूप से दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवा टैरिफ आदेश, 2004 को अधिसूचित किया। इस आदेश के माध्यम से केबल उपभोक्ता द्वारा केबल आपरेटर, केबल आपरेटर द्वारा एमएसओ/प्रसारक तथा एमएसओ द्वारा प्रसारकों को फ्री–टु एयर (एफटीए) तथा पे–चैनलों के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि को, भादूविप्रा द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने तक, विहित किया गया था। उस तिथि तक केबल उपभोक्ताओं की कोई श्रेणी नहीं बनाई गई थी। तत्पश्चात्, 01 अक्तूबर, 2004 को भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2004 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल गैर–सीएएस टैरिफ आदेश' कहा गया है) को 15 जनवरी, 2004 को जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए जारी किया। इस टैरिफ आदेश में केबल टेलीविजन प्रभारों पर लगाई गई अधिकतम सीमा को भी यथावत् बनाये रखा गया था। इस टैरिफ आदेश में भी टेलीविजन उपभोक्ताओं में कोई श्रेणी नहीं बनाई गई थी।

4. दिनांक 08 अगस्त, 2005 को होटल और रेस्त्रां संघ ने कुछ प्रसारकों द्वारा प्रभारित विभेदक टैरिफ को चुनौती देते हुए माननीय टीडीसेट के समक्ष याचिका सं0 80(ग) और 32(ग)/2005 दायर की। 17 जनवरी, 2006 को माननीय टीडीसेट ने याचिका खारिज की, जिसमें वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को सब्सक्राइबर अथवा उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। उन्होंने प्राधिकरण से इस बात पर भी विचार करने को कहा कि क्या वाणिज्यिक केबल टेलीविजन उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ का निर्धारण करना आवश्यक है अथवा नहीं ?

5. 07 मार्च, 2006 को भादूविप्रा ने माननीय टीडीसेट के दिनांक 17 जनवरी, 2008 के आदेश में की गई टिप्पणियों तथा फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करते हुए दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2006 (2006 का 2) को अंतरिम रूप से अधिसूचित किया। इस आदेश में उपभोक्ता की दो श्रेणियों – साधारण केबल उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता को परिभाषित किया गया था। इस आदेश में यह भी उपबंध किया गया था कि वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता के लिए दिनांक 01 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित/मौखिक करारों में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भुगतान की जाने वाली राशि की दर (कर के अलावा) उसकी अधिकतम सीमा होगी तथा दिनांक 01 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित/मौखिक करारों में लागू सिद्धांतों को ''दरें'' शब्द की व्याप्ति का निर्धारण करने के लिये लागू किया जाना चाहिये। वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता के अलावा अन्य सभी उपभोक्ताओं हेतु ऐसा ही उपबंध किया गया था।

6. दिनांक 21 अप्रैल, 2006 को भादूविप्रा द्वारा इस मुद्दे पर विस्तृत परामर्श हेतु एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया। इसी दौरान, माननीय टीडीसेट के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के आदेश को चुनौती देते हुए होटल और रेस्त्रां संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील संख्या 2061/2006 दायर की और दिनांक 28 अप्रैल, 2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''यथापूर्व स्थिति बनाये रखने'' का आदेश पारित किया। दिनांक 19 अक्तूबर, 2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''यथापूर्व स्थिति के आदेश में संशोधन करते हुए भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के तहत टैरिफ आदेश तैयार करने तथा माननीय टीडीसेट द्वारा की गई किसी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि दूसरा परामर्श पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि, टैरिफ आदेश जारी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भादूविप्रा के सभी उपबंधों का पालन किया गया है।

7. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु मसौदा टैरिफ आदेश को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित किया गया।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में विधिवत परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने 21 नवम्बर, 2006 को दो संशोधन आदेश नामतः दूरसंचार (प्रसारण केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (सातवां संशोधन) आदेश, 2006 (2006 का 8) तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तृतीय) (सीएएस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का 6) जो क्रमशः गैर–सीएएस तथा सीएएस क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ता पर लागू थे, को जारी किया। इन टैरिफ संशोधन आदेशों के निम्नलिखित मुख्य उपबंध थेः–

   (क) तीन सितारा तथा उससे ऊपर के श्रेणी के होटलों, हेरीटेज होटलों तथा 50 अथवा उससे अधिक कमरों की क्षमता वाले होटलों (जिसे इसके पश्चात् ''होटलों की पृथक श्रेणी'' कहा जायेगा) को आपस में सहमत प्रभारों के अनुसार प्रभारित किया जाना था।

   (ख) होटलों की अन्य श्रेणियों के लिये प्रभार (होटलों की अन्य श्रेणियों के अलावा) साधारण तथा अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु दर के समान होगा।

   (ग) किसी प्रसारक के कार्यक्रमों, जिन्हें मनोरंजन कर कानून के तहत पंजीकृत किसी स्थान पर आम लोगों के देखने के लिए किसी विशेष अवसरों पर दिखाया जायेगा, जहां कम से कम 50 व्यक्तियों को भुगतान आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, ऐसे स्थानों पर वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता द्वारा दोनो पक्षों के बीच आपस में निर्धारित टैरिफ प्रभारित किया जायेगा।

9. दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या : 2061/2006 पर निर्णय दिया तथा माननीय टीडीसेट के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के आदेश को पलट दिया तथा प्रकरण के संबंध में स्वतंत्र रूप से नये सिरे से टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया जारी रखने के निदेश के साथ भादूविप्रा को वापस भेज दिया।

10. दिनांक 21 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना के तहत पृथक श्रेणी के होटलों तथा फेडरेशन ऑफ होटल्स एण्ड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने अन्य बातों के साथ–साथ भादूविप्रा द्वारा जारी दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के टैरिफ आदेश/अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय टीडीसेट के समक्ष अपील संख्या 17(ग)/2006 (ईस्ट इंडिया होटल लि0 बनाम भादूविप्रा एवं अन्य) तथा 18(ग)/2006 (कनाट प्रोमिनेन्ट होटल्स लि0 बनाम भादूविप्रा एवं अन्य) दायर की। माननीय टीडीसेट ने दिनांक 28 मई, 2010 के अपने निर्णय के माध्यम से अपीलों को स्वीकार

किया तथा टैरिफ आदेश को रद्द किया और अन्य के साथ–साथ प्राधिकरण को व्यापक तरीके से नये सिरे से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मामले पर विचार करने को कहा।

11. माननीय टीडीसेट के दिनांक 28 मई, 2010 के आदेश को चुनौती देते हुए एक प्रसारक (मैसर्स ईएसपीएन) द्वारा सिविल अपील संख्याः 6040–6041/2010 तथा अन्य संबद्ध अपील संख्या : 10476–10777/2010 तथा 8358–8359/2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसमें :

(क) दिनांक 16 अगस्त, 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय टीडीसेट के दिनांक 28 मई, 2010 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का एक आदेश पारित किया।

(ख) दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के निर्णय के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6040–41/2010 तथा अन्य संबद्ध अपीलों को खारिज कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भादूविप्रा को टैरिफ का पुनर्निधारण करने के लिए तीन माह के अंदर नये सिरे से मामले पर विचार करने का निदेश दिया।

12. तदनुसार, भादूविप्रा ने दिनांक 11 जून, 2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया तथा तत्पश्चात् विधिवत परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत, निम्नलितखित विनियम तथा आदेश अधिसूचित कियेः–

(क) दिनांक 16 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (बारहवां संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 05)।

(ख) दिनांक 18 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 6)।

(ग) दिनांक 18 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजीटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 09)।

(घ) दिनांक 18 जुलाई, 2014 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 8)।

13. उपर्युक्त दोनों टैरिफ संशोधन आदेश को माननीय टीडीसेट के समक्ष इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाउंडेशन एवं अन्य द्वारा अपील सं0 7(ग)/2014 के माध्यम से चुनौती दी गई। दिनांक 16 जुलाई, 2014 तथा 18 जुलाई, 2014 के उपर्युक्त संशोधनों तथा गैर–सीएएस तथा डीएएस क्षेत्रों पर लागू अंतःसंयोजन विनियमों तथा टैरिफ आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्याः 5161/2014 (स्टार इंडिया बनाम भादूविप्रा और अन्य) दायर की गई ।

14. माननीय टीडीसेट ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2015 के आदेश के अनुसार दिनांक 16 जुलाई, 2014 तथा 18 जुलाई, 2014 के दोनों टैरिफ संशोधन आदेशों को निरस्त करते हुए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार किया। माननीय टीडीसेट ने अपील को स्वीकार करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ भादूविप्रा को आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के अंदर नये आदेश जारी करने का निदेश भी दिया। इसके अलावा, उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया था प्राधिकरण आदेश की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर किसी भी अंतरिम व्यवस्था के संबंध में निर्णय ले सकता है।

15. रिट याचिका संख्या : 5161/2014 में माननीय दिल्ली उच्चतम न्यायायल ने दिनांक 15 मई, 2015 को आदेश जारी किया कि माननीय टीडीसेट के दिनांक 09 मार्च, 2015 के अनुसार टैरिफ का निर्धारण करते हुए भादूविप्रा किसी भी प्रकार से याचिका में विवादित विनियमों द्वारा स्वयं को आबद्ध नहीं समझेगा।

16. भादूविप्रा ने माननीय टीडीसेट की अपील सं0 7(सी)/2004 में दिये गये 09 मार्च, 2015 के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक अपील (सिविल अपील सं0 4851/2015 (भादूविप्रा बनाम आईबीएफ और अन्य) दायर की।

17. भादूविप्रा ने 13 मई, 2015 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 09 मार्च, 2015 के माननीय टीडीसेट के आदेश में संदर्भित अंतरिम व्यवस्था के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रेस विज्ञप्ति के संगत उद्धृण नीचे दिये गये हैं:–

'' ..... अंतिरम उपाय के रूप में माननीय टीडीसेट के दिनांक 09 मार्च, 2015 के आदेश को चुनौती देते हुए भादूविप्रा द्वारा दायर की गई सिविल अपील के निष्कर्ष के अधीन दिनांक 01.10.2004 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2014 (2014 का 6) तथा दिनांक 31.08.2006 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (तृतीय) (सीएएस क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2006 (2006 का छठा) तथा दिनांक 21.07.2010 का ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 01) लागू होंगे''

18. प्राधिकरण ने माननीय टीडीसेट के आदेश के अनुसार सभी हितधारकों की टिप्पणियां/मत प्राप्त करने के लिए दिनांक 14 जुलाई, 2015 को ''वाणिज्यिक उपभोक्ता से संबंधित टैरिफ मुद्दे'' शीर्षक पर एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की तथा परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। परामर्श पत्र में इस मुद्दे पर पूर्व के निर्धारणों पर बिना पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए एक नई तथा समग्र पद्धति अपनाई गई। कुल 22 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। तथापि, कोई भी प्रति—टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 18 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें 73 हितधारकों ने भाग लिया। साथ ही ओएचडी उपरांत 11 टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

19. मुद्दे के व्यापक अध्ययन तथा परामर्श पत्र और साथ ही ओएचडी में चर्चा की प्रतिक्रिया में सभी हितधारकों की टिप्पणियों/दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इस अंतःसंयोजन विनियम के संशोधन को जारी किया जा रहा है।

मुद्दों का विश्लेषण

साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच भेद किये जाने तथा पृथक परिभाषा की आवश्यकता

20. परामर्श पत्र में, टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने में साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को परिभाषित करने तथा उनके बीच भेद किये जाने की आवश्यकता के संबंध में बुनियादी मुद्दे पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किये गये थे। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, जिन हितधारकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनके मत/दृष्टिकोण संक्षेप में नीचे दिये गये हैं।

हितधारकों की टिप्पणियां

21. सभी प्रसारकों तथा उनके संघों ने यह पक्ष रखा कि टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को परिभाषित किया जाना तथा उनके बीच भेद किया जाना आवश्यक है।

22. अधिकांश डीपीओ ने कहा कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को परिभाषित किये जाने तथा उनके बीच भेद किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मत को न्यायोचित ठहराने के लिये नीचे कुछ कारण दिये गये:—

(क) एड्रेसेबल प्रणाली में, प्रत्येक एसटीबी एक उपभोक्ता होता है और इस प्रकार उसका पूर्णरूपेण लेखा—जोखा रखा जाता है।

(ख) किसी साधारण अथवा किसी वाणिज्यिक उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई टेलीविजन सेवा में कोई अंतर नहीं होता है।

23. कुछ डीपीओ ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसा भेद केवल उस स्थिति में किया जाना चाहिये जब कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के लिये अलग से प्रभार उद्ग्रहित करता है। इस प्रकार वह वाणिज्यिक लाभ हेतु टेलीविजन सिग्नलों का दोहन करता है।

24. लगभग सभी होटलों तथा उनके संघों ने यह निवेदन किया है कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच किसी प्रकार का भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिये गये तर्क के पक्ष में उनके द्वारा कुछ कारण गिनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

(क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.12.2014 के पत्र संख्याः 8—टीएच—193)/2013 के माध्यम से जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होटलों में टेलीविजन सेवा एक अनिवार्यता है।

(ख) माननीय टीडीसेट के दिनांक 27 फरवरी, 2007 के निर्णय के अनुसार टेलीविजन सेवा, आगन्तुकों को उपलब्ध कराई जाने वाली एक अनिवार्य सेवा है।

(ग) होटल तथा रेस्त्रां अपने आगन्तुकों से टेलीविजन सब्सक्रिप्शन की लागत की वसूली नहीं करते हैं।

(घ) निवासी ग्राहक की तुलना में वाणिज्यिक उपभोक्ता के पास विशेष रूप से प्रसारकों से बेहतर मोल—भाव करने की क्षमता नहीं होती है।

25. उद्योग के पर्यवेक्षक सहित व्यक्ति विशेष तथा एक उद्योग संघ का मत था कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई भेद किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि उपभोक्ता का साधारण तथा वाणिज्यिक रूप में श्रेणीकरण किया जाना चाहिए तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता का उपभोक्ता के स्थान पर चलाई जा रही वाणिज्यिक क्रियाकलाप की वृहदतता तथा स्वरूप के अनुसार आगे श्रेणीकरण किया जा सकता है।

विश्लेषण

26. पिछले कुछ दशकों में देश में टेलीविजन सेवाओं का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है तथा शहरी और अर्ध—शहरी क्षेत्रों में अधिकांश घरों तथा अन्य प्रतिष्ठानों की पे—टेलीविजन सेवाओं तक पहुंच है। जब आरंभ में वर्ष 2006 में भादूविप्रा ने वाणिज्यिक उपभोक्ता हेतु पृथक श्रेणी तैयार

की थी, तब से लेकर आज तक टेलीविजन पर जिस प्रकार का दृष्टिकोण था, उसमें व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हो गया है। वर्ष 2006 में होटलों में पे–टेलीविजन चैनल देखना एक विलासिता समझी जाती थी तथा कई बार टेलीविजन के साथ तथा टेलीविजन के बिना कमरों की अलग–अलग दरें बतलाई जाती थी। अब पे–टेलीविजन सर्वव्यापी हो गया है तथा होटलों के कमरों में टेलीविजन सिग्नल सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पर होटलों को वाणिज्यिक टेलीविजन उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है। आजकल, न केवल होटल तथा रेस्त्रां बल्कि विभिन्न अन्य सार्वजनिक स्थानों यथा विमानपत्तन, मॉल, शापिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, चिकित्सकों के क्लीनिक आदि में भी टेलीविजन चैनलों को देखा जा सकता है। इन प्रतिष्ठानों में दौरान करने वाले किसी भी व्यक्ति ने साधारण रूप से टेलीविजन विषय–वस्तु की घर पर प्राप्ति हेतु नियत दरों का पहले ही भुगतान किया ही होगा। ऐसे स्थानों पर टेलीविजन कार्यक्रमों को देखना पहली बार उन कार्यक्रमों तक पहुंच नहीं होता बल्कि एक प्रकार से उनकी निरंतरता ही होती है। इसलिये, यह स्पष्ट होता है कि इन प्रतिष्ठानों का दौरा करने वाला व्यक्ति केवल टेलीविजन विषय–वस्तु देखने के लिये ही नहीं आता है। देश में टेलीविजन सेवाओं की सर्वव्याप्तता तथा पे–टेलीविजन विषय–वस्तु की व्यापक रूप से उपलब्धता के साथ इन प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी टेलीविजन सेवाएं ग्राहकों हेतु अलग से कोई महत्वपूर्ण आकर्षण नहीं है। अधिकांश मामलों में मूल रूप में टेलीविजन सेवाओं की किसी अन्य मूलभूत सुविधा की भांति ही पेशकश की जाती है। तथापि, ऐसे भी उदाहरण हैं जब यह प्रतिष्ठान विशेष टेलीविजन विषय–वस्तु उपलब्ध कराने तथा आकर्षण बढ़ाने के लिये अपने ग्राहकों को प्रभारित करते हैं। इन विशिष्ट मामलों में, प्रतिष्ठान अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिये विशेष टेलीविजन विषय–वस्तु को प्रदर्शित कर उसका दोहन करते हैं। इस प्रकार वे जन–सामान्य द्वारा प्रभार के भुगतान पर टेलीविजन प्रसारण को दिखाकर अथवा सुनाकर वाणिज्यिक रूप से लाभान्वित होते हैं।

27. इसलिये, प्राधिकरण का मत है कि इन प्रतिष्ठानों में उपयोग की जा रही टेलीविजन सेवाओं को वृहद रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है– (i) जहां ग्राहक को टेलीविजन सेवाओं के उपयोग हेतु अलग से भुगतान नहीं करना पड़ता है; या जहां टेलीविजन सेवाओं का उपयोग मुख्य उद्देश्य के अनुषंगी है, दूसरे शब्दों में जब टेलीविजन सेवाओं को अलग से प्रभारित नहीं किया जाता है; और (ii) जहां ग्राहक को टेलीविजन सेवाओं का उपयोग करने के लिये अलग से भुगतान करना पड़ता है तथा प्रतिष्ठान इस प्रकार की टेलीविजन सेवाओं से राजस्व अर्जित करता है। इस प्रकार, टेलीविजन सेवाओं के उपयोग के स्वरूप के आधार पर साधारण सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को पृथक रूप से अलग किये जाने और परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।

टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ताओं के वर्गीकरण हेतु आधार अथवा मानदण्ड

28. परामर्श पत्र में यह मुद्दा उठाया गया था कि यदि टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ता का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक हो तो ऐसे टेलीविजन उपभोक्ता के वर्गीकरण का क्या आधार अथवा मानदण्ड होना चाहिये। परामर्श पत्र में टेलीविजन सिग्नल को प्रदर्शित किये जाने के स्थान, टेलीविजन सिग्नलों के उपयोग मानदण्ड के स्वरूप, टेलीविजन सिग्नलों को उपलब्ध कराने की पद्धति, टेलीविजन सिग्नल की विषय–वस्तु के स्वरूप, टेलीविजन सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर विभिन्न संभावनाओं को भी उजागर किया गया था, साथ ही साथ, हितधारकों से अन्य मानदण्ड के बारे में भी सुझाव आमंत्रित किये गये। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, जिन हितधारकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनके मतों/दृष्टिकोण को संक्षेप में नीचे दिया गया है।

हितधारकों की टिप्पणियां

29. अधिकांश प्रसारक तथा उनके संघों का यह मत है कि टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के लिये साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच अंतर करना अनिवार्य है। इसके अलावा, उनके द्वारा 'उपयोग के स्वरूप' तथा 'उपयोग का स्थान' को सबसे महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में सुझाव दिया गया है। प्रसारकों ने यह भी सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आगे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाये:–

(क) होटल के कमरे।

(ख) सभी वाणिज्यिक ऑऊटलेट जिनमें रेस्त्रां, दुकान, फैक्ट्रियां तथा कार्यालय शामिल है। तथापि, निम्नवत को छूट प्रदान की जा सकती है।

(i) जहां दस कर्मचारियों से कम कर्मचारी कार्यरत हों।

(ii) शहरी सीमा में भवन का क्षेत्रफल 2500 वर्ग फीट से कम हो तथा शहर से इतर 5000 वर्ग फीट तक हो।

*उपर्युक्त (i) तथा (ii) के तहत छूट महानगरों, राज्य की राजधानियों तथा क/ख श्रेणी के शहरों में लागू नहीं होगी।

(iii) एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत अत्यंत छोटे प्रतिष्ठान।

(ग) विमानपत्तन लॉऊज, बैंक्वेंट तथा पार्टी हॉल, होटल की लाबियों, थियेटर तथा प्रेक्षाग्रह आदि सहित ऐसा क्षेत्र जहां जन साधारण कार्यक्रम देख सके।

30. एक प्रसारक ने यह सुझाव दिया कि टेलीविजन उपभोक्ता का वर्गीकरण इस तथ्य के आधार पर भी किया जा सकता है कि क्या प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त की गई सेवा इसके मुख्य कार्य क्षेत्र के लिये ''अनुषंगी'' अथवा ''अनिवार्य'' स्वरूप की थी। यदि वे अनुषंगी सेवा का उपयोग करने के विकल्प को अपनाते हैं जैसे किसी भी प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये टेलीविजन का उपयोग करते हैं, तो इसे वाणिज्यिक लाभ के लिये माना जायेगा। ऐसी सेवाओं हेतु सेवा प्रदाताओं (प्रसारकों) को पृथक रूप से प्रभार उद्ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिये चूंकि इसे स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक लाभ के लिये उपयोग किया जाता है।

31. डीपीओ तथा उनके संघ ने उल्लेख किया कि साधारण घर के उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्त्रां, विमानपत्तन, मॉल, शापिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, चिकित्सक के क्लीनिक में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि सैटेलाइट फुटप्रिंट संपूर्ण भारत में उपलब्ध है, अतः उपभोक्ता के द्वारा एक स्थान से दूसरे सथान पर डीटीएच रिसीवर को स्थानांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः, टीवी सिग्नल के उपयोग के स्थान के आधार पर वाणिज्यिक उपभोक्ता तथा सामान्य घरेलू उपभोक्ता में अंतर करना बहुत मुश्किल है।

32. उनमें से कुछ ने आगे सुझाव दिया कि उनमें केवल उस स्थिति में भेद किया जाना चाहिये जब वाणिज्यिक उपभोक्ता अपने उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के लिये अलग से प्रभारों का उद्ग्रहण करें, और इस प्रकार वे वाणिज्यिक लाभ के लिये टेलीविजन सिग्नलों का दोहन करें।

33. लगभग सभी होटल तथा उनके संघों ने उल्लेख किया कि उन उपभोक्ताओं के मामलों में जब पृथक शुल्क/प्रवेश शुल्क प्रभारित कर टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक दोहन किया जाता है, उनके अलावा साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई भेद करने की जरूरत नहीं है।

34. एक व्यक्ति का मत था कि साधारण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई भेद किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, उद्योग संघ ने सुझाव दिया कि छोटी तथा मझौली दुकान के स्वामियों को वाणिज्यिक उपभोक्ता नहीं समझा जाना चाहिये। जबकि 1 से 5 सितारा सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले सभी संगठनों को वाणिज्यिक उपभोक्ता माना जाना चाहिए।

विश्लेषण

35. विभिन्न हितधारकों की अधिकांश टिप्पणियां/सुझाव यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ताओं का वर्गीकरण किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि, टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये ग्राहकों को पृथक रूप से प्रभारित किये जाने पर इसे अपवाद मानकर प्रभारित किया जाना चाहिये। प्रसारकों का मत है कि टेलीविजन सेवाओं के ''उपयोग के स्वरूप'' साथ ही टेलीविजन सेवाओं के ''उपयोग का स्थान'' ही उपभोक्ता के वर्गीकरण का मानदण्ड होने चाहिये। प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ता को सामान्य तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता श्रेणियों में परिभाषित तथा वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता है। यह वर्गीकरण आसान, असंदिग्धार्थी तथा संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (वैल्यू—चेन) में व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित किये जाने हेतु सक्षम होना चाहिये। जबकि, प्रत्येक हितधारक के हित का पर्याप्त रूप से संरक्षण भी किया जाना चाहिये।

36. प्राधिकरण ने नोट किया कि वर्ष 2006 में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सिग्नल के उपयोग के स्वरूप को ध्यान में न रखते हुए ''उपयोग के स्थान'' के आधार पर विशेष रूप से होटलों को परिभाषित किया गया था, जिसे होटल उद्योग द्वारा समय—समय पर न्यायालय में चुनौती दी गई। अब प्रसारको ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ''उपयोग के स्थान'' तथा '' उपयोग के स्वरूप'' के आधार पर परिभाषित किये जाने की मांग की है। अन्य हितधारक लगातार मांग करते रहे हैं कि ''उपयोग के स्थान'' तथा '' उपयोग के स्वरूप'' अथवा अन्य मानदण्डों के आधार पर को भेद नहीं किया जाना चाहिये। उनका मत है कि प्राधिकरण को केवल उन वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को परिभाषित करने के लिए केवल उन प्रतिष्ठानों पर विचार करना चाहिये, जो वणिज्यिक लाभ के लिए टेलीविजन सिग्नलों का उपयोग करते हैं।

37. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा सुझाए गये वर्गीकरण के विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। यह नोट किया गया है कि अधिकांश मामलों में, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में टेलीविजन सिग्नल का उपयोग केवल जानकारी—सह—मनोरंजन के उद्देश्यों के लिये ही किया जाता है तथा टेलीविजन सिग्नलों के लिये अलग से कोई शुल्क भी प्रभारित नहीं किया जाता है। पे—टेलीविजन चैनल सर्वव्यापी हो गये हैं तथा अधिकांश स्थानों पर जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, वहां लगभग प्रत्येक घर की पे—टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच है। इसलिये, ऐसे प्रतिष्ठानों में टेलीविजन सेवाओं को उपलब्ध कराने से ऐसे प्रतिष्ठानों का दौरा करने वाले ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता है। इसके अलावा, ऐसे प्रतिष्ठानों में टेलीविजन कार्यक्रमों को देखना मूल रूप से उपभोक्ता द्वारा अपने घर मे पहले से ही देखी जा रही ऐसी विषय—वस्तु की निरतंरता को बनाये रखना ही होता है। यहां यह उल्लेख करना विषयेत्तर नहीं होगा कि टेलीविजन के चैनलों को देखने से प्रसारक को अधिक लोगों द्वारा विषय—वस्तु को देखे जाने के परिणामस्वरूप विज्ञापनों के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिसम्बर, 2014 को तीन सितारा तथा उससे ऊपर के होटलों के कमरों में तथा अन्य होटलों की लॉबी में टेलीविजन सेवाओं को उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया है। वैसे, इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जहां विषय—वस्तु एकाधिकार स्वरूप की है और होटलों द्वारा ऐसी विषय—वस्तु उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया गया है, विनियामककारी तंत्र को वैल्यू—चेन में हितधारकों के हितों के बीच संतुलन कायम करना चाहिये।

38. प्राधिकरण ने नोट किया है कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं जब टेलीविजन कार्यक्रमों को दिखाने के लिए अलग से प्रभारित कर टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाता है। इसलिए, विभेदककारी मानदण्ड' टेलीविजन सिग्नलों के उपयोग का स्वरूप' हो सकता है अर्थात् जहां अलग से प्रभारित कर इससे राजस्व अर्जित करने हेतु टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाता है।

39. तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य के साथ—साथ होटल एवं रेस्त्रां संघ और अन्य बनाम स्टार इंडिया प्रा0 लि0 और अन्य की अपील (सिविल) 2061/2006 में दिनांक 24.11.2006 को दिये गये अपने निर्णय में निम्नवत पायाः—

''..... होटलों के स्वामी अपने उपभोक्ताओं/आगन्तुकों के लिये टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करते हैं। ऐसा करते हुए वे अन्य बातों के साथ—साथ अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कोई होटल का स्वामी अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं जैसे बिस्तर, खाना—पीना, पंखे, टेलीविजन आदि उपलब्ध करवाता है। होटल में निवास करने वालों के लिए ऐसी सुख—सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये व्यवस्था करना, किसी होटल के स्वामी द्वारा आगन्तुक को किसी प्रकार का विक्रय किया जाना नहीं माना जायेगा। होटलों के स्वामी प्रसारक से उसी प्रकार टेलीविजन सिग्नल प्राप्त करते हैं जैसे वे लाइसेंसधारी से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। आगन्तुक किसी भी विद्युतीय उपकरण उपयोग कर सकता है। इसका अभिप्राय होटल द्वारा उसे विद्युत विक्रय किया जाना नहीं होगा। उक्त प्रयोजनार्थ ''उपभोक्ता'' तथा ''सब्सक्राइबर'' होटल तथा उसका प्रबंधन हीं रहेगा। इसी प्रकार, यदि प्रबंधन द्वारा सुविधा स्वरूप प्रदत्त सेवा के भाग स्वरूप सभी कमरों में टेलीविजन सेट उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिये आगन्तुक से अलग से प्रभार नहीं वसूला गया हो, तो इससे होटल में ठहर रहे आगन्तुक उपभोक्ता अथवा सब्सक्राइबर नहीं बन जायेंगें।....''

40. उक्त निर्णय में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पंजाब राज्य बनाम मैसर्स एसोसियेटिड होटल्स ऑफ इंडिया [(1972)। एससीसी 472] द्वारा इसी मुद्दे को नीचे पुर्नउद्धत किया गया हैः—

''..... जब कोई यात्री, वायुयान अथवा स्टीम—शिप से अपनी यात्री टिकट क्रय करता है तो उसका लेन—देन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करने का ही होता है। यदि उस यात्रा के दौरान यात्री को पेय पदार्थ अथवा भोजन अथवा सिगरेट प्रदान की जाती है तो

कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि जितनी बार यह सब चीजें उसे दी गई हैं उसे अलग से बिक्री की गई है। लेन–देन अनिवार्य रूप से यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक ले जाने का हुआ था। यदि उसे करार में निष्पादन के दौरान किसी चीज की आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति उस सेवा की अनुषंगी होगी, जिससे करार के पैटर्न अथवा स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार, जब धुलाई के लिये कपड़े दिये जाते हैं तो इसमें लेन–देन शामिल होता है, जिसमें अनिवार्य रूप से कार्य अथवा सेवा शामिल होती है और यदि धोबी किसी परिधान में टूटे हुए बटन को बदल देता है तो उसमें बटन अथवा धागे की कोई बिक्री नहीं हुई। सामग्री के अनुषंगी उपयोग की अनेक घटनाएं उद्धत की जा सकती हैं, जिनमें से किसी घटना में भी मुख्य लेन–देन के भाग के रूप में विक्रय शामिल नहीं है ..... /''

41. उपर्युक्त उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराया जाना, उस सेवा की अनुषंगी सेवा ही है, जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है। इस प्रकार, उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि सुख–सुविधा के रूप में किसी आगन्तुक को उपलब्ध कराई गई कोई भी सेवा, जिसके लिए आगन्तुकों को पृथक रूप से प्रभारित नहीं किया जाता है तो इसमें आगन्तुकों को उक्त सेवा की बिक्री नहीं मानी जाएगी।

42. उपर्युक्त विचार–विमर्श के मद्देनजर, प्राधिकरण का मत है कि उपभोक्ता के वर्गीकरण का मूलभूत मानदण्ड यह होना चाहिये कि क्या टेलीविजन सेवा का, इसे उपलब्ध कराये जाने के स्थान के अनेपक्षतः, उपभोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं के लिए अलग से प्रभारों का उद्ग्रहण कर राजस्व अर्जित करने के लिए टेलीविजन सिग्नलों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जा रहा है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ताओं के वर्गीकरण का मानदण्ड टेलीविजन सिग्नलों का 'उपयोग का स्वरूप' होना चाहिये न की 'सिग्नलों हे उपयोग का स्थान' होना चहिये। तदनुसार, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि यदि सब्सक्राइबर अपने ग्राहको को टेलीविजन सेवा का उपयोग करने पर अलग से प्रभार उद्ग्रहण करता है तो इसे ग्राहको से राजस्व अर्जित करने के लिए टेलीविजन सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन माना जायेगा तथा सब्सक्राइबर को 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' माना जायेगा। और सभी दूसरे सब्सक्राइबर को साधारण उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। तदनुसार अंतःसयोजन के इस संशोधन में 'साधारण उपभोक्ता' तथा 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' को परिभाषित किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2015

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES) INTERCONNECTION (NINTH AMENDMENT) REGULATION, 2015

(No. 6 of 2015)

No. 6-30/2015 - B&CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No. 39,----------

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 (S.O. 44(E) and 45(E)) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii), ----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Ninth Amendment) Regulation, 2015 (6 of 2015).

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), -----

(a) sub-clause (ib)shall be deleted;

(b) for sub-clause (ic), the following sub-clause shall be substituted, namely:------

"(ic) **"commercial subscriber"** means a subscriber who causes the signals of TV channels to be heard or seen by any person for a specific sum of money to be paid by such person,"

(c) for the sub-clause (ma), the following sub-clause shall be substituted, namely:-----

"(ma) "**ordinary subscriber**" means a subscriber who is not a commercial subscriber.

SUDHIR GUPTA, Secretary, TRAI

[ADVT.-III/4/Exty./142/15(207)]

Note. 1 : The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 8-26/2004-B&CS dated 10th December 2004 and subsequently amended vide notification No. 3-57/2005/B&CS dated 3rd March 2005, No. 11-13/2006-B&CS dated 24th August 2006, No. 6-4/2006-B&CS dated 4th September 2006, No. 4-54/2007-B&CS dated 3rd September 2007, 3-21/2009-B&CS dated 17th March 2009, No. 6-7/2010-B&CS dated 30th July 2010, No. 6-11/2014 - B&CS dated the 10th February, 2014 and No. 6-32/2014 - B&CS dated the 18th July, 2014

Note. 2 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Ninth Amendment) Regulation, 2015 (6 of 2015)

ANNEXURE

Explanatory Memorandum

Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is a statutory body established by the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (hereinafter referred to as the TRAI Act). Since its inception some of the prime focus areas of TRAI have been, to protect the interests of consumers and service providers of the telecommunication sector and to promote the orderly growth of telecommunication services.

2. The Government of India, through a Notification dated 9 January 2004, notified "broadcasting services" and "cable services" as "telecommunication services". Accordingly, since 2004 TRAI has been regulating the broadcasting and cable TV sector in India by exercising its recommendatory as well as regulatory powers.

3. Soon after it came to be vested with regulation of broadcasting and cable TV services sector, TRAI notified, in the interim, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Tariff Order, 2004 on 15 January 2004. Vide this order charges payable by Cable subscribers to Cable Operators, Cable Operators to MSOs/Broadcasters and MSOs to Broadcasters as on 26 December 2003 were prescribed to be the ceiling for Free-to-Air (FTA) and pay channels, until final determination by TRAI. On that date, there was no categorization made amongst the cable subscribers. Thereafter, on 01 October 2004, TRAI notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (hereinafter referred to as 'Principal Non-CAS Tariff Order') superseding the interim tariff order issued on 15 January 2004. This tariff order also, retained the ceilings imposed on cable TV charges. In this tariff order also, no categorization was made amongst the TV subscribers.

4. On 08 August 2005, the Association of Hotels and Restaurants filed Petition Nos. 80(C) and 32(C) of 2005, before the Hon'ble TDSAT challenging the differential tariffs charged by some broadcasters. On 17 January 2006, the Hon'ble TDSAT dismissed the petition wherein it concluded that the members of the petitioner associations couldn't be regarded as subscribers or consumers. It also asked the Authority to consider whether it was necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.

5. On 07 March 2006, TRAI, upon considering the observations made by TDSAT in its Order dated 17 January 2006 and a representation received from Federation of Hotel and Restaurants Association of India (FHRAI), in the interim, notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2006(2 of 2006). In this order, two classes of subscribers - ordinary cable subscribers and commercial cable subscribers were defined. This order also provided that for the commercial cable subscribers, the rates (excluding taxes) payable by one party to the other by virtue of the written/oral agreement prevalent on 01 March 2006 shall be the ceiling and the principle applicable in the written/oral agreements prevalent on 01 March 2006, should be applied for determining the scope of the term "rates". Similar provision was also made for all subscribers other than commercial cable subscribers.

6. On 21 April 2006, a Consultation Paper was issued by TRAI for detailed consultations on the issue. In the meantime, Civil Appeal No. 2061 of 2006 was filed challenging the Hon'ble TDSAT's order dated 17 January

2006 by Associations of Hotels and Restaurants before the Hon'ble Supreme Court of India and the Hon'ble Supreme Court passed a "status quo" order on 28 April 2006. This status quo order was modified by the Hon'ble Supreme Court, on 19 October 2006, directing the Authority to carry out the processes for framing the tariff under Section 11 of the TRAI Act independently and not relying on or on the basis of any observation made by TDSAT. In the said order it was also mentioned that there is no need of issuing another consultation paper, however while issuing the Tariff Order it should be ensured that all the provisions of the TRAI Act have been complied with.

7. Accordingly in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court, draft tariff amendment orders seeking comments of the stakeholders was placed on the website of TRAI.

8. After following the due consultation process, in pursuance of the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Authority issued two Amendment Orders on 21 November 2006, viz The Telecommunications (Broadcasting & Cable) Services (Second) Tariff (Seventh Amendment) Order, 2006 (8 of 2006) and The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third) (CAS Areas) Tariff Order, 2006 (6 of 2006), applicable to commercial subscribers in Non-CAS and CAS areas respectively. These tariff amendment orders had the following main provisions:

   (a) With respect to hotels with ratings of 3 stars and above, heritage hotels and hotels with a capacity of 50 or more rooms (hereinafter referred to as "the Excluded Categories of Hotels"), the charges were to be mutually negotiated.

   (b) The charges for other categories of hotels (except excluded categories of hotels) shall be at the same rate as for ordinary subscribers and other commercial subscribers.

   (c) In respect of programmes of a broadcaster, shown on the occasion of a special event for common viewing, at any place registered under the Entertainment Tax Law and to which access is allowed on payment basis for a minimum of 50 persons by the commercial cable subscribers, the tariff shall be as mutually determined between the parties.

9. On 24 November 2006, the Hon'ble Supreme Court of India decided Civil Appeal No. 2061 of 2006 and reversed the order of the TDSAT dated 17 January 2006 and remanded the matter back to TRAI directing it to carry on the process for fresh determination of tariff independently.

10. Hotels which formed a part of the excluded category under the Notifications dated 21 November 2006 and the Federation of Hotel and Restaurants Association of India (FHRAI), filed Appeals No.17(c) of 2006 (East India Hotel Ltd vs. TRAI and Ors) and 18(c) of 2006 (The Connaught Prominent Hotels Ltd vs. TRAI and Ors) before the Hon'ble TDSAT challenging inter alia the Tariff Order/ Notification dated 21 November 2006, issued by TRAI. The Hon'ble TDSAT, by its judgment dated 28 May 2010, allowed appeals and quashed the tariff order and, amongst others, asked the Authority to consider the case of commercial establishments afresh in a broad based manner.

11. Civil Appeal Nos. 6040-6041 of 2010 filed by one of the broadcasters (M/s ESPN) and other connected appeal Nos. 10476-10477 of 2010 and 8358-8359 of 2010 were filed before the Hon'ble Supreme Court challenging the judgment of the Hon'ble TDSAT dated 28 May 2010, wherein:

   (a) On 16 August 2010, the Hon'ble Supreme Court passed an *ad interim* order of stay on the order of the TDSAT dated 28 May 2010.

   (b) By its judgment dated 16 April 2014, the Hon'ble Supreme Court dismissed Civil Appeal No. 6040-41 of 2010 and other connected appeals. The Hon'ble Supreme Court further directed TRAI to consider the matter de-novo within 3 months and to re-determine tariff.

12. Accordingly, TRAI issued a consultation paper on 11 June 2014 and subsequently, after following the due consultative process notified the following Regulations and Orders–

   (a) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Twelfth Amendment) Order, 2014 (5 of 2014) on 16 July 2014.

   (b) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2014 (6 of 2014) on 18 July 2014. (c) The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Fourth Amendment) Regulation, 2014 (9 of 2014) on 18 July 2014.

   (d) The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Eighth Amendment) Regulation, 2014 (8 of 2014) on 18 July 2014.,

13. The above two Tariff Amendment Orders were challenged by the Indian Broadcasting Foundation and Others, in Appeal No. 7(C) of 2014, before the Hon'ble TDSAT. A Writ Petition No. 5161 of 2014 (Star India vs. TRAI and Ors.) was filed before the Hon'ble High Court of Delhi challenging the above amendments dated 16 July 2014 and 18 July 2014, to the Tariff Orders and to the Interconnect Regulations applicable to Non-CAS areas and to DAS areas.

14. The Hon'ble TDSAT in its order dated 09 March 2015, allowed the appeal filed by the Indian Broadcasting Foundation, quashing the two tariff amendment orders dated 16 July 2014 and 18 July 2014. The Hon'ble TDSAT while allowing the appeal also, inter-alia, directed TRAI to issue fresh orders within six months from the date of the judgment. Further, it was also mentioned in the said judgment that the Authority may also take a decision with regard to any interim arrangement within one month from the date of the judgment.

15. In Writ Petition No. 5161 of 2014, the Hon'ble High Court of Delhi, issued an order on 15 May 2015, holding that while determining the tariff in terms of the order of TDSAT dated 09 March 2015, TRAI shall not consider itself bound by the regulations impugned in the petition in any manner whatsoever.

16. TRAI has filed an appeal (Civil appeal No 4851 of 2015 (TRAI vs. IBF and others)) in the Hon'ble Supreme Court challenging the order dated 09 March 2015, delivered in appeal No 7(C) of 2014, of the Ld. TDSAT.

17. TRAI issued a press release, dated 13 May 2015, clarifying its position with respect to the interim arrangement referred to in the Hon'ble TDSAT order dated 09 March 2015. The relevant extracts of the press release are given below-

> *"….an ad interim measure, the "Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004" (6 of 2004) dated 01.10.2004, the "Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third) (CAS Areas) Tariff Order 2006 (6 of 2006) dated 31.08.2006 and the "Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services) (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010) dated 21.07.2010 respectively shall apply subject to the outcome of the civil appeal filed by TRAI before the Hon'ble Supreme Court challenging the order dated 9th March, 2015 of the Hon'ble TDSAT."*

18. The Authority, as per the Hon'ble TDSAT order initiated a consultation process and issued a consultation paper (CP) titled "Tariff issues related to commercial subscribers" on 14 July 2015 seeking comments/ views of all the stakeholders. The CP took a fresh and holistic approach without being biased with previous determinations to the issue. A total of 22 comments were received, however no counter-comment was received. An Open-House discussion (OHD) was conducted on 18 August 2015 at New Delhi wherein 73 stakeholders participated. A total of 11 post-OHD comments were also received.

19. This amendment to the interconnection regulations is being issued after comprehensive study and analysis of the issues while taking into consideration comments/ views of all the stakeholders in response to consultation paper as well as discussions in OHD.

Analysis of Issues

Need for differentiation between ordinary and commercial subscribers and requirement for separate definition

20. The consultation paper sought the views of all stakeholders on the basic issue of whether there is a need to define and differentiate between ordinary and commercial subscribers for provision of TV signals. The views/opinions of the stakeholders who responded during the consultation process are summarized below.

Stakeholder comments

21. All broadcasters and their association have brought out that it is essential to define and differentiate between ordinary and commercial subscribers for provision of TV signals.

22. Most of the DPOs have stated that there is no need to define and differentiate between the ordinary and commercial subscribers. Some of the reasons put forward to justify their view are as follows:

(a) In an addressable regime, each STB is a subscriber and is thereby fully accounted for.

(b) There is no difference in the TV service that is provided to an ordinary or a commercial subscriber.

23. Some DPOs also suggested that the only exception when such a differentiation must actually be made is when a commercial establishment charges separately for the TV services provided to his clients thereby exploiting the TV signals for commercial gains.

24. Almost all hotels and their associations have submitted that no differentiation is required between the ordinary and commercial subscribers. Some of the reasons put forth in support of their argument are as follows:

(a) Television service in hotels is a necessity by virtue of the Ministry of Tourism guidelines issued vide letter no 8-TH-I93)/2013 dated 16.12.2014.

(b) TV service is an essential service to be provided to the guests as per the decision of the Ld. TDSAT dated 27 February 2007.

(c) Hotels and restaurants do not recover the cost of TV subscription from their guests.

(d) Commercial subscribers have no better bargaining power than residential subscribers especially vis-à-vis the broadcasters.

25. Individuals including an industry observer and an industry association have opined that there is no need for differentiation between ordinary and commercial subscribers. However, one individual has suggested that there should be a categorization of the subscribers as ordinary and commercial and the commercial subscribers can be further categorized based on the scale and type of commercial activity that is carried out at such a subscriber's location.

Analysis

26. The penetration of TV services in the country in the last few decades has been on the rise exponentially and most of the households and other establishments in urban and semi-urban areas now have access to pay TV services. There has been paradigm shift from the way TV was looked at in 2006 when initially TRAI gave separate classification for commercial subscribers. Viewing Pay TV channels in Hotels in 2006 was considered a luxury and many a time separate rates for similar rooms with TV and without TV were quoted. Now pay TV has become ubiquitous and classifying hotels as commercial TV subscribers merely on the basis that they provide TV signal viewing facility in hotel rooms does not holds ground. Now a days, it is not only the hotels and restaurants but various other public places such as Airports, Malls, Shopping complexes, Hospitals, Doctors' Clinics etc., where one can have access to viewing of TV channels. Most of the individual visiting these establishments would have in the normal case already paid for domestic access to the TV content. Viewing of TV programs, if at all, at such places is not novelty and in no way adds to special experience. It can safely be presumed that an individual visiting these establishments cannot be doing so solely for the purpose of watching TV content. Moreover, with pervasiveness of TV services in the country and widespread availability of paid TV content, it no longer is a distinctive value proposition for these establishments to attract clientele on the basis of such TV services. In most cases, the TV services in a basic form are offered to the client akin to any other basic amenity. However, there may be instances where the establishments do charge their clients for providing premium TV content with enhanced attractiveness. In these specific cases, such establishments may be said to be exploiting the display of premium TV content to bring in additional revenues and thereby they do stand to benefit commercially by causing the TV broadcast to be heard or seen by the public on payment of charges.

27. The Authority is therefore of the view that TV services being used at these establishments, may broadly be classified in two categories - (i) where the client does not have to pay separately to use the TV services or where use of TV services is incidental to the primary purpose; in other words, when the TV services are not being separately charged and (ii) where the client does pays separately for use of the TV services and the establishments earn revenues from provision of such TV services. Hence, depending upon the type of the usage of TV services, there is a need to differentiate and define 'ordinary subscriber' and a 'commercial subscriber' separately.

Basis or criterion for the classification of subscribers of TV services

28. The issue raised in the consultation paper was that in case a classification of subscribers of TV services is necessary, then what should be the basis or criterion for such a classification. Consultation paper flagged various possibilities of such classification based on place of viewing TV signal, type of usage criteria for TV signals, method of provisioning of TV signals, type of content of TV signal, perceived value of TV services and also sought suggestions from the stakeholders for any other criteria which they may like to suggest. The views/opinions of the stakeholders who responded during the consultation process are summarized below.

Stakeholder comments

29. Most of the broadcasters and their association have opined that it is essential to differentiate between ordinary and commercial subscribers for provision of TV signals. Further, differentiation based on 'type of usage' and the 'place of usage' has been suggested by them as the most appropriate criteria. Broadcasters have also suggested that the commercial establishments should further be classified into the following:–

a) Hotel rooms.

b) All commercial outlets that include restaurants, shops, factories and offices with exemption however being granted to the following:-

(i) Those with less than twenty employees.

(ii)Premises of area less than 2500 sq. ft. within city limits and 5000 sq. ft. outside city limits.

* with a caveat that exemptions under (i) and (ii) above must not apply in metropolitan cities, state capitals and class A/B cities.

(iii)Micro-enterprises under the MSME Act 2006.

c) Public viewing areas including airport lounges, banquet and party halls, hotel lobbies, theatres and auditoriums etc.

30. One of the broadcasters has suggested that the classification of TV subscribers can also be done on the basis of the fact that whether the service availed by the establishment is "incidental" or "essential" to the core area of its business. In the event that they choose to use an incidental service such as TV to enhance their businesses in any way, this will be for commercial gains. Service providers (broadcasters) of such services should have the right to charge separately as it is used for a clear commercial gain.

31. DPOs and their associations have stated that there is no need to differentiate between ordinary household subscriber and commercial establishments such as Hotels, Restaurants, Airports, Malls, Shopping complexes, Hospitals, Doctors' Clinics, where one can have access to viewing of TV channels without being charged separately. They also mentioned that since satellite footprint is available across India, hence, possibility of shifting DTH receiver from one location to other location by subscribers can not be ruled out. Hence, any differentiation between commercial subscribers and ordinary household subscriber based on location of uses of TV signals is difficult to be implemented on ground.

32. Some of them have further suggested that the only exception when such a differentiation must actually be made is when a commercial subscriber charges his customers separately for the TV service provided to his clients thereby exploiting the TV service for commercial gains.

33. Almost all hotels and their associations have submitted that there is no differentiation required between the ordinary and commercial subscribers except in case of those subscribers who commercially exploit the TV signals by charging separate fee/entry fee.

34. An individual has opined that there is no need for any differentiation between ordinary and commercial subscribers. An industry association has however suggested that small and medium shop owners should not be considered as commercial subscribers while all organizations providing 1-5 star services should be treated as commercial subscribers.

Analysis

35. Majority of Comments/ suggestions of various stakeholders indicate that there is no need for classification of subscribers while suggesting that the only exception that needs to be made is when clients are charged separately for the provision of TV services. Broadcasters are of the view that 'type of usage' of the TV services as well as the 'place of usage' of the TV services should be the criteria for classification of subscribers. The Authority, having come to the conclusion that while there is a need to define and differentiate subscribers of TV services into ordinary and commercial subscriber categories, is of the opinion that the classification must be simple, unambiguous, and practically implementable across the entire value chain whilst interest of every stakeholder is adequately protected.

36. The Authority has noted that in 2006, the commercial subscribers were defined by relying on "place of usage" of TV signal especially in Hotels irrespective of the type of usage, which has been contested time and again by the Hotel Industry. Broadcasters have now asked that commercial subscribers to be defined based on both "place of usage" and "type of usage". Other stakeholders are persistently demanding that no distinction should be made either based on place of usage or on type of usage or any other criteria. They are of the view that Authority must consider only those entities for defining commercial subscribers who explicitly exploit the TV signals for commercial gains.

37. In view of above, the Authority has carefully considered various options for classification suggested by the stakeholders. It is noted that in most of the cases, the TV signal in commercial establishments is used only for the infotainment purpose without separately charging for viewing of TV signals. Pay TV channel viewing has become ubiquitous and in most of the places where such commercial establishment exists, almost every household has access to pay TV programs. Therefore, provision of TV services in such establishment does not make any value proposition for the clients visiting such establishment. Further, viewing of TV programs in such establishments is not novelty and most of the clients would have already subscribed for such content. It may not be out of place to mention here that from such viewing of TV channels Broadcasters also get advantage by way of more advertisements due to increased viewership. Further, Ministry of Tourism has mandated provision of TV services in rooms for 3 star hotels and above and in lobby for other hotels in Dec 2014. As such, considering the scenario where content is monopolistic in nature and hotels are mandated to provide such content, the regulatory framework must balance the interest of stakeholders in the value chain.

38. The Authority has noted that there may be instances where TV signals are commercially exploited by separately charging for exhibiting the TV programs. Therefore the distinguishing criteria can be the 'type of usage of TV signals' i.e., where the signals are commercially exploited by charging separately for its exhibition for earning revenues out of it.

39. Moreover, the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 24.11.2006 in appeal (Civil) 2061 of 2006 Hotel and Restaurants Association and Anr Vs Star India Pvt Ltd. and Ors has, amongst others, observed as under:

"….The owners of the hotels take TV signals for their customers/ guests. While doing so, they inter alia provide services to their customers. An owner of a hotel provides various amenities to its customers such as beds, meals, fans, television, etc. Making a provision for extending such facilities or amenities to the boarders would not constitute a sale by an owner to a guest. The owners of the hotels take TV signals from the broadcasters in the same manner as they take supply of electrical energy from the licensees. A guest may use an electrical appliance. The same would not constitute the sale of electricity by the hotel to him. For the said purpose, the 'consumer' and 'subscriber' would continue to be the hotel and its management. Similarly, if a television set is provided in all the rooms, as part of the services rendered by the management by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not convert the guests staying in a hotel into consumers or subscribers….."

40. The said judgment further quotes another judgment of the Hon'ble Supreme Court (in The State of Punjab v. M/s. Associated Hotels of India Ltd. [(1972) 1 SCC 472)]) on similar issue, which is reproduced as under:

"…. When a traveller, by plane or by steam-ship, purchases his passage-ticket, the transaction is one for his passage from one place to another. If, in the course of carrying out that transaction, the traveller is supplied with drinks or meals or cigarettes, no one would think that the transaction involves separate sales each time any of those things is supplied. The transaction is essentially one of carrying the passenger to his destination and if in performance of the contract of carriage something is supplied to him, such supply is only incidental to that services, not changing either the pattern or the nature of the contract. Similarly, when clothes are given for washing to a laundry, there is a transaction which essentially involves work or service, and if the laundryman stitches a button to a garment which has fallen off, there is no sale of the button or the thread. A number of such cases involving incidental uses of materials can be cited, none of which can be said to involve a sale as part of the main transaction. …."

41. From the observations of the Hon'ble Supreme Court, cited above, it is clear that provision of TV services in a commercial establishment is only incidental to the service that the commercial establishment is providing to its clients. Thus, it has also been settled by the said judgment that any service rendered to a guest by way of an amenity, wherefore the guests are not charged separately, the same would not constitute as sale of the said service to the guest.

42. In view of above deliberations, the Authority is of the view that the basic criteria for classification of subscribers should be whether the TV services, irrespective of its place of provisioning, are being commercially exploited, by the subscriber to earn revenues by charging separately for such services. In other words, the criteria for classification of subscribers should be the 'type of usage' of TV signals by the subscriber and not the subscriber's 'place of usage of signals'. In view of the discussions in paragraphs above, the Authority has decided that the subscribers who charge their clients separately to use the TV services, amounting to commercial exploitation of TV services to earn revenues out of it from their clients, shall be classified as 'commercial subscribers'. And all other subscribers shall be classified as 'ordinary subscribers'. Accordingly, 'ordinary subscriber' and 'commercial subscriber' have been defined in this amendment to the interconnection regulations.

*****

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.